GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 1036

TO BE ANSWERED ON TUESDAY, JULY 29, 2025
7 SRAVANA, 1947 (SAKA)

"QUALIFYING PERIOD FOR NEXT INCREMENT OF PAY-STEPPED-UP EMPLOYEES"

1036: SHRI NEERAJ SHEKHAR:
SHRI JAVED ALI KHAN:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether qualifying period for next annual increment in cases where central government employees have been allowed stepping up of their pay at par with their juniors under Rule 7 of (10) of CCS (RP) Rules, 2016, is 6 months from the date of stepping up of pay and one year from date of previous annual increment, as per the same Rules and OM dated 31st July, 2018 regarding next increment, issued by Department of Expenditure;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the qualifying period for next increment in such cases along with Rule/order therefor?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (c): The date of next increment in 7th Central Pay Commission pay structure is governed under Rule 10 of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016, the extract of which is enclosed in Annexure-I.

*****

:_: www.staffnews.in :_:

Rule 10 of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 referred to in reply of Rajya Sabha Un-starred Question No. 1036 for 29.07.2025

10. Date of next increment in revised pay structure.-

"(1) There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July:

Provided that an employee shall be entitled to only one annual increment either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment, promotion or grant of financial upgradation.

(2) The increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation including upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) during the period between the 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on 1st day of January and the increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation including upgradation under MACPS during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

Illustration:

(a) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or under MACPS during the period between the 2nd day of July, 2016 and the 1st day of January, 2017, the first increment shall accrue on the 1st day of July, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.

(b) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or under MACPS during the period between 2nd day of January, 2016 and 1st day of July, 2016, who did not draw any increment on 1st day of July, 2016, the next increment shall accrue on 1st day of January, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis:

Provided that in the case of employees whose pay in the revised pay structure has been fixed as on 1st day of January, the next increment in the Level in which the pay was so fixed as on 1st day of January, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2016:

Provided further that the next increment after drawal of increment on 1st day of July, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2017.

(3) Where two existing Grades in hierarchy are merged and the junior Government servant in the lower Grade happens to draw more pay in the corresponding Level in the revised pay structure than the pay of the senior Government servant, the pay of the senior government servant shall be stepped up to that of his junior from the same date and he shall draw next increment in accordance with this rule."

*****

:_: www.staffnews.in :_:

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1036

मंगलवार, 29 जुलाई, 2025/7 श्रावण, 1947 (शक)

वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए अगली वेतन वृद्धि की अर्हता अवधि

1036. श्री नीरज शेखर:

श्री जावेद अली खान:

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऐसे मामलों में, जहां केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के नियम 7(10) के अंतर्गत उनका वेतन बढ़ाकर उनके कनिष्ठों के बराबर करने की अनुमति दी गई है, अगली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए अर्हक अवधि वेतन बढ़ाने की तिथि से 6 महीने और उन्हीं नियमों और व्यय विभाग द्वारा अगली वेतन वृद्धि के संबंध में जारी 31 जुलाई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पिछली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से एक वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में अगली वेतनवृद्धि के लिए अर्हक अवधि क्या है तथा इसके लिए तत्संबंधी नियम/आदेश कौन-कौन से हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 10 के अंतर्गत शासित होती है, जिसका उद्धरण अनुबंध-I में संलग्न है।

*****

:_: www.staffnews.in :_:

दिनांक 29.07.2025 को राज्य सभा में दिए जाने वाले लिखित प्रश्न संख्या 1036 के उत्तर में संदर्भित केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 का नियम 10

10. संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख -

"(1) 01 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई:

बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण:

क. ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई, 2016 और 01 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई है, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी:

ख. ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जनवरी, 2016 और 01 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी:

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में, संशोधित वेतन संरचना में जिनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है, उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2016 को प्राप्य होगी:

बशर्ते यह भी कि 01 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को प्राप्य होगी।

(3) ऐसे मामलों में, जहां पदानुक्रम में दो विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ कनिष्ठ सरकारी सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुरूपी लेवल में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है। वहां वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके कनिष्ठ के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ सरकारी सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।"

******

:_: www.staffnews.in :_: